

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.- 1237 / 2015)

(संस्थित दिनांक-14.12.15)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

गोहद चौराहा जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

1. लाखन पुत्र ठकुरीप्रसाद जाटव उम्र 23 साल

निवासी कटन का पुरा थाना गोहद चौराहा

2. मुकेश उर्फ छिंगा पुत्र स्व0 भीकाराम जाटव उम्र 29 साल -----फरार

निवासी अगनूपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 02.12.16 को घोषित)

अभियुक्त लाखन पर भा.द.सं. की धारा 380, 457 के अन्तर्गत आरोप हैं कि उसने दिनांक 05-06.11.15 की दरम्यानी रात स्थान सिख समाज गुरुद्वारा के अंदर हरगोविंदपुरा में गुरुद्वारा मंदिर के अंदर सेस सिख समाज की दानपेटी को बिना गुरुद्वारा प्रबंधक की सहमति से बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी का अपराध किया तथा सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व सिख समुदाय के गुरुद्वारा के अंदर अपनी सावधानी को छिपाते हुए चोरी करने के आशय से प्रवेशकर रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार का अपराध कारित किया।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.15 से 06.11.15 की दरम्यानी रात ग्राम हरगोविंदपुरा सिख समाज के गुरुद्वारा का कमेटी सदस्य फरियादी कृपालसिंह दिनांक 05.11.15 को रात दस बजे पूजा पाठ करके गुरुद्वारा का गेट बंद करके ताला लगाकर पास ही में बने कमरे में सो गया था। रात करीब दो बजे उसने देखा तो गुरुद्वारा का मैन गेट का ताला टूटा था, गेट खुला था। उसने अंदर जाकर देखा तो गुरुगंध साहब के सामने रखी दानपेटी जगह पर नहीं थी। उसने यह बात गुरुद्वारे के पुजारी जग्गासिंह को बताई, बाद में गुरुद्वारे के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। रात में दानपेटी नहीं मिली, दानपेटी में लगभग बीस हजार रुपये का दान था। उसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0-256/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान

नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्त का मेमोरेण्डम लिया गया, उसे गिरफ्तार किया। उसकी निशांदाही पर 5500/-रुपये जब्त किए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त ने दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 05-06.11.15 की दरम्यानी रात स्थान सिख समाज गुरुद्वारा के अंदर हरगोविंदपुरा में गुरुद्वारा मंदिर के अंदर सेस सिख समाज की दानपेटी को बिना गुरुद्वारा प्रबंधक की सहमति से बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी का अपराध किया ?

2-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व सिख समुदाय के गुरुद्वारा के अंदर अपनी सावधानी को छिपाते हुए चोरी करने के आशय से प्रवेशकर रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार का अपराध कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुखदेवसिंह अ.सा.01, जग्गासिंह अ0सा0 2, कृपालसिंह अ0सा0 3, धर्मसिंह अ0सा0 4, जगदीश अ0सा0 5, विक्रमसिंह अ0सा0 6, किशनलाल राठौर अ0सा0 7, गोपसिंह अ0सा0 8, मूलचंद अ0सा0 9 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

06. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में फरियादी कृपालसिंह अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना नवंबर या दिसंबर 2015 की है। वे किसान होकर गुरुद्वारा हरगोविंदपुरा के सदस्य हैं। रात में एक डेढ बजे के करीब गुरुद्वारा में चोरी होने के बारे में गुरुद्वारा के पुजारी जग्गासिंह से सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि वे रात में पेशाव करने के लिए उठे तो रात तीन बजे बाथरूम की लाईट बंद मिली। जैसे ही गुरुद्वारे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला था, अंदर जाकरदेखा तो गुरुद्वारे की तिजोरी (दानपेट) नहीं मिली। उन्हें फोन पर जग्गासिंह ने सूचना दी इसके बाद गांव वालों को इकट्ठा किया और पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले आ गए। दानपेटी में लगभग बीस हजार रुपये की चोरी होने की बात लिखाए जाने का कथन करते हैं, सुबह दानपेटी एक धान के खेत में पेड़ के नीचे मिलने का कथन करते हैं। दानपेटी का सारा पैसा चोरों द्वारा निकाल लेने के संबंध में कथन करते हैं। घटना की

रिपोर्ट प्र0पी0 1 पुलिस को लिखाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। अन्य साक्षी जग्गासिंह अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 5-6.11.15 की है। वे गुरुद्वारे की शाम की पूजा करके पास ही बने मकान में सो रहे थे। रात को करीब डेढ बजे कृपालसिंह ने देखा कि दानपेटी नहीं हैं तब उन्होंने साक्षी को उठाया, साक्षी ने भी जाकर देखा कि गुरुद्वारे में दानपेटी नहीं हैं। इधर उधर जाकर देखा तो कोई नहीं था। गुरुद्वारे के अन्य सदस्यों को बुलाकर तलाश करने पर भी दानपेटी न मिलने का कथन करते हैं और घटना की रिपोर्ट का भी कथन करते हैं।

07. सुखदेव अ0सा0 1, धर्मसिंह अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में गुरुद्वारा हरगोविंदपुरा की दानपेटी चोरी होने का कथन करते हैं। फरियादी कृपालसिंह अ0सा0 3 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और उन्होंने रिपोर्ट प्र0पी0 1 में बी से बी भाग पर दिनांक 05.11.15 की रात में पूजा करके गुरुद्वारे का गेट बंद करके ताला लगाकर पास ही बने कमरे में सो जाने और उसके द्वारा रात के दो बजे गुरुद्वारे का मैनगेट का ताला टूटे होने व अंदर जाकर देखने पर दानपेटी न होने के संबंध में तथ्य न लिखाने का कथन किया है बल्कि जग्गा अ0सा0 2 से सूचना मिलने के आधार पर दानपेटी न मिलने का कथन किया गया है। यद्यपि अभियुक्त की ओर से घटना की रात 05.11.15 से 06.11.15 के मध्य गुरुद्वारे से दानपेटी चोरी होने के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है। मात्र इस तथ्य के संबंध में चुनौती दी गयी है कि उन्होंने चोरी करते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा। घटना की रात चोरी होने व उसके संबंध में प्राथमिकी, नक्शामौका की पुष्टि करने का तथ्य अभिलेख पर है। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना दिनांक 05-06.11.15 की दरम्यानी रात में गुरुद्वारा हरगोविंदपुरा से दानपेटी की चोरी हुई थी।

08. प्रकरण में अभियोजन के साक्षी कृपाल अ0सा0 3 द्वारा घटना के समय किसी को दानपेटी ले जाते हुए देखा हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि किसने चोरी की। अभियोजन के किसी भी साक्षी द्वारा अभिकथित दानपेटी को चुराते हुए या ले जाते हुए अभियुक्त को देखा हो ऐसा कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी सुखदेव अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने दानपेटी के संबंध में इधर उधर पूछताछ की थी तो गोहद चौराहे के जगदीश जाटव ने बताया था कि दो आदमी गांव में इधर उधर घूम रहे थे और शराब पी रहे थे जिनमें एक का नाम छिंगा था और एक कटनपुरा का था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी न होना बताते हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उन्हें जगदीश ने ऐसा नहीं बताया कि दो व्यक्ति चोरी के इरादे से घूम रहे थे और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा। अन्य साक्षी धर्मसिंह अ0सा0 4 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि घटना के एक दिन पहले लाखन, मलखान व अन्य एक व्यक्ति जिसे वे नहीं जानते, रामनाथ जाटव के घर शराब पीते रहे जिससे उनका नाम आशंका (संदेही) के रूप में लिखवाया था। साक्षी को

पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस तथ्य से इंकार करते हैं कि उसे व सुखदेव को जगदीश जाटव ने बताया था कि जब रात में अपने बोर से घर आ रहा था तो रात 11-11:30 बजे लाखनसिंह जाटव, मुकेश उर्फ छिंगा हरगोविंदपुरा में मिले थे तथा दोनों आपस में चोरी की बात कर रहे थे स्वतः कथन करते हैं कि चोरी की बात नहीं बताई दोनों के मिलने की बात बताई थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त के रात में घूमने की बात जगदीश जाटव के बताए अनुसार बताई है। ऐसे में यह साक्षी स्वयं अभियुक्त से नहीं मिला बल्कि अभियुक्त के गांव में घूमने का अनुश्रुत साक्षी है।

09. प्रकरण में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं ऐसे में अभियोजन का मामला अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है। साक्षी सुखदेव अ0सा0 1 व धर्मसिंह अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के गांव में घटना के पूर्व घूमने का कथन करते हैं। उक्त कथन उनके द्वारा जगदीश जाटव नाम के व्यक्ति के बताए अनुसार बताए जाने का कथन किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी जगदीश अ0सा0 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन करते हैं कि न तो वे अभियुक्त को जानते हैं और न उन्हें घटना की कोई जानकारी है। साक्षी द्वारा पुलिस को कोई भी बयान दिए जाने से इंकार किया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में सुझाव दिया गया कि दिनांक 05-06.11.15 की दरम्यानी रात को 11:30 बजे वे अपने बोर से घर पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें आरोपीगण मिले जो चोरी करने की बात कर रहे थे तो साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है। अपने पुलिस कथन प्र0पी0 5 का संपूर्ण भाग पुलिस को दिए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। ऐसे में अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त का अपराध के पूर्ववर्ती आचरण जो संव्यवहार का सुसंगत भाग प्रमाणित हो सकता था वह साक्षियों के विरोधाभासी कथनों के कारण खण्डित हो जाता है। अर्थात् यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक 05-06.11.15 की दरम्यानी रात को अभियुक्त उक्त गांव हरगोविंदपुरा में चोरी करने की नियत से घूम रहा था।

10. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ0सा0 7 यह कथन करते हैं कि दिनांक 06.11.15 को उन्हें प्र0पी0 1 की प्राथमिकी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी जिसके अनुसंधान के दौरान उन्होंने घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी0 2 बनाया जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 16.11.15 को अभियुक्त लाखनसिंह को गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 6 बनाए जाने जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त से उसका धारा 27 साक्ष्य अधि0 का मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 लेख किया था जिसमें अभियुक्त ने उसके हिस्से में 8500 रुपये आने जिसमें से खाने पीने में खर्च के अलावा 5500 रुपये शेष होने का कथन किया था। उक्त रुपये अपने घर में लोहे की अलमारी में छिपाकर रखने का कथन किया था। साक्षी कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 17.11.15 को पोलीथीन से 5500

रुपये जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं। इस प्रकार से साक्षी अभियुक्त के अपराध में संलिप्तता का कथन करते हैं।

11. प्रकरण में आरक्षक मूलचंद अ0सा0 10 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 17.11.15 को थाना गोहद चौराहा में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके सामने प्र0आर0 किशनलाल द्वारा अभियुक्त लाखन की निशांदाही पर 5500 रुपये जब्त किए जाने के संबंध में कथन करते हैं। जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्रकरण में इस प्रकार से अभियुक्त के द्वारा उसके अपराध में संलिप्तता का आधार उसके द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन दिया गया ज्ञापन और उससे प्राप्त या पता चले जानकारी के आधार पर संलिप्तता के संबंध में कथन किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त का यह बचाव है कि वह निर्दोष है उसे असत्य रूप से अपराध में लिप्त किया गया है। प्र0पी0 11 के जब्ती पत्रक के संबंध में मेमोरेण्डम के आधार पर जानकारी प्राप्त होने के संबंध में अनुसंधानकर्ता द्वारा बताया गया है। प्रकरण किशनलाल अ0सा0 7 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताते हैं कि अभियुक्तगण अप0 क0 268/15 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था किन्तु यह स्वीकार करते हैं कि अभिकथित गिर0 पत्रक व मेमो में गिर0 किए गए अपराध क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है।

12. भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 25 के अधीन उपबंधित है कि पुलिस अधिकारी को की गयी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। ऐसी दशा में अभियुक्त के अपराध में सम्मिलित होने संबंधी तथ्य जो मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 में लेख है उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। किन्तु अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसी जानकारी का वह भाग जो अभियुक्त ने अभिरक्षा के अधीन किया गया हो जिससे नवीन तथ्य का पता चलता है वह तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है। प्रकरण में अभियुक्त के कथित मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 लिए जाने के समय अभिरक्षा में होने का तथ्य अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रकट अवश्य किया गया है किन्तु अनुसंधानकर्ता के द्वारा कथित मेमोरेण्डम में संबंधित अपराध जिसमें कि अभियुक्त अभिरक्षा में था उसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकरण में यदि तर्क के लिए मान लिया जावे कि अभियुक्त से मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 लिया गया तो कथित मेमोरेण्डम के आधार पर पता चले तथ्य के संबंध में जब्ती प्र0पी0 11 की जाना बताई है जो कि दिनांक 17.11.15 को किया जाना बताई है। प्र0पी0 11 के जब्ती पत्रक के अनुसार अभियुक्त से 5500 रुपये पोलीथीन में जब्त करना बताए हैं। मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 के अनुसार उक्त पैसे उसकी अलमारी में रखे होना बताए गए हैं जबकि कथित जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 में जब्त किए जाने वाले स्थान का उल्लेख ही नहीं किया गया है।

13. अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ0सा0 7 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 11 में जब्ती का कोई स्थान लेख नहीं है और आगे कथन करते हैं कि प्र0पी0 11 में जब्ती का स्थान सहवन छूट गया होगा लेकिन उक्त जब्ती आरोपी के घर से हुई थी। जब्ती साक्षी

आरक्षक मूलचंद अ0सा0 9 जो प्र0पी0 11 के जब्ती पंचनामा पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं वे भी प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि कथित जब्ती किस स्थान पर और कितने बजे हुई थी। जब्ती का अन्य साक्षी कृपाल अ0सा0 3 है जिसने अभियुक्त से जब्ती के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और न ही साक्षी का अभियुक्त से जब्ती के संबंध में कोई कथन कराया गया है। ऐसे में जबकि यह तथ्य ही स्पष्ट नहीं हैं कि किस स्थान से अभियुक्त के अभिकथित रूप से पता चले तथ्य के आधार पर संपत्ति की बरामदगी हुई तो ऐसी दशा में मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 का अस्तित्व प्रश्नचिन्हित व जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 का अस्तित्व पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है।

14. प्रकरण में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ0सा0 7 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि उन्हें साक्षियों के कथन के आधार पर पता चला था कि चोरी में कौन शामिल था जबकि उन्हीं के द्वारा तैयार मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 व जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 साक्षीगण धर्मसिंह, सुखदेव व जगदीश के कथन मेमोरेण्डम की दिनांक 16.11.15 व जब्ती पत्रक की दिनांक 17.11.15 के पश्चात् लेख किए गए हैं। ऐसे में स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ0सा0 7 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि मेमोरेण्डम के साक्षी पुलिस साक्षी और किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है साथ ही प्र0पी0 7 व 11 के दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु कोई रोजनामचा सान्हा का न तो उल्लेख है और न ही प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

15. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 380, 457 के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं, अभियुक्त लाखनसिंह संदेह के आधार पर दोषमुक्त का पात्र हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 380, 457 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

17. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति का निराकरण फरार अभियुक्त के निर्णय के समय किया जावेगा।

18. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि हो तो उसके संबंध में प्रमाणपत्र बनाया जावे। अभियुक्त प्रकरण में फरार है इसकी टीप मुख्य प्रष्ठ पर अंकित की जावे। अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अ)